


27 $\frac{02}{19}$

वादी अनु०। वकील वादी अनु० वादी
एवम् वकील वादी को सामान्य समय
समाप्त तक अलग-2 समय में तीन
बार आवाने लगाई गई। वादी या
वकील वादी उपाक्षेत्र नहीं हुए।

अतः वादी का वाद अडम फौज
अडम हाजरी में जारी किया जाया
है। पत्रावली सुमार फलान होकर
दाखिल दर्ज़र हो।


सहायक कमिश्नर
(SDO) बाड़मेर।